(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 13 /2023
दिनांकः– 8 जून, 2023

विषयः 31.10.2023 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची–I (आयात नीति) के आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज का आयात।

सा.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा 31.10.2023 तक की समयावधि हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के अंतर्गत तरबूज के बीज के आयात की प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:

1. संबंधित मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, **31.10.2023 तक** उक्त आयात **35,000 मीट्रिक टन** से अधिक नहीं होगा **और वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर अनुमत होगा**। तदनुसार डीजीएफटी इस सार्वजनिक **सूचना की तिथि से और अधिकतम 15.06.2023** तक तरबूज के बीज के प्रतिबंधित आयातों हेतु लाइसेंस के लिए निम्नानुसार नए आवेदन आंमत्रित करता है:

i. आवेदनों, जहां आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) जारी करने की तारीख इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को या उसके बाद है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
ii. आवेदनों पर वास्तविक प्रयोक्ता के आधार पर प्रोसेसरों के लिए केवल उनकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता और तरबूज के बीज के पिछले आयातों के आधार पर ही विचार किया जाएगा।
iii. प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाते हुए सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले जारी किए गए वैध एफएसएसएआई लाइसेंस प्रदान करना अपेक्षित होगा।
iv. तरबूज के बीज हेतु आवेदक के टर्नओवर के साथ ही साथ आवेदक के समग्र टर्नओवर को प्रमाणित करते हुए एक वैध सीए प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
v. एक आईईसी के तहत केवल एक आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।
vi. किसी गलत घोषणा के मामले में, आवेदक पर मौजूदा आवंटन के लिए विचार नही किया जाएगा और इसके पश्चात अगले 2 वर्षो के लिए ऐसे आवंटनों की अनुमति नही दी जाएगी।

2. प्रत्येक आवेदन हेतु अनुमत आयातों के लाइसेंस की मात्रा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.48 के अनुसार एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) द्वारा तय की जाएगी। आवेदनों की जांच करते समय ईएफसी, अन्य बातों के साथ–साथ वार्षिक प्रोसेसिंग क्षमता और वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 में तरबूज के बीजों के आयात को ध्यान में रखेगी।

3. वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 में आवेदक (आवेदकों) द्वारा तरबूज के बीजों के औसत आयात को 30 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी। आवेदक की प्रोसेसिंग क्षमता को 70 प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।

4. कोई भी पात्र आवेदक विनिर्दिष्ट तरजीह के आधार पर आवंटन हेतु पात्र है। डीजीएफटी यह सुनिश्चित करने के लिए कि मात्राओं का मितव्ययितापूर्ण आवंटन किया गया है, आवंटित की जाने वाली मात्रा के लिए

सं. सारंगी

फ्लोर और/अथवा अधिकतम सीमा को भी विनिर्दिष्ट करेगा। इसके अलावा, डीजीएफटी के पास किसी भी समय जैसा उचित समझा जाएगा, आवंटन प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. सभी भावी लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त लाइसेंसों के तहत आयात खेप दिनांक 31.10.2023 को अथवा इससे पहले भारतीय पत्तनों पर पहुंचे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 31.10.2023 तक आयात हेतु आईटीसी (एचएस) 12077090 के तहत तरबूज के बीजों के प्रतिबंधित आयातो हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 15.06.2023 है।

संतोष कुमार सारंगी
8.6.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/53/8/विविध/एएम22/एम–1/आईसी से जारी)